वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. 5-1(176)/2012-PD Dated 03.11.2026

प्रेषक: संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
सीएसआईआर-राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशालाएं,
एचएएल एयरपोर्ट रोड,
बेंगलूरु - 560017 (कर्नाटक).

विषय: सीएसआईआर-एनएएल (CSIR-NAL) में तकनीकी सहायक (ग्रुप 'बी'/Group 'B') के पद हेतु आयु सीमा में संचयी छूट की स्वीकार्यता के बारे में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या A-12024/06/2025-Rect. दिनांक 22.06.2026 तथा अनुवर्ती पत्रों दिनांक 08.07.2026 एवं 15.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994 के नियम 8.3, जिसे सीएसआईआर कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(01)/2013-HR-II दिनांक 22.01.2013 द्वारा संशोधित किया गया था, में प्रयुक्त अभिव्यक्ति **"In addition" (इसके अतिरिक्त)** का तात्पर्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को देय आयु-छूट, उक्त नियम के अंतर्गत विभागीय अभ्यर्थियों को देय आयु-छूट के अतिरिक्त होगी।

2. तदनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों से संबंधित पात्र विभागीय अभ्यर्थियों को **संचयी आयु-छूट** अनुमन्य होगी, बशर्ते वे प्रत्येक छूट के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थियों की पात्रता का परीक्षण तदनुसार किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

(वंदना दिग्विजय सिंह)
उप सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न: यथोपरि

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालयों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
2. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालयों/इकाइयों के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी
3. सीएसआईआर की वेबसाइट
4. कार्यालय प्रति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

सं.4(01)/2013-एचआर-II

दिनांक: 22 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **'तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994' के नियम -8.3 में संशोधन**

सीएसआईआर की शासी निकाय ने दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को सम्पन्न अपनी 181वीं बैठक में 'तकनीकी एवं सहायक स्टाफ की भर्ती हेतु सीएसआईआर सेवा नियमावली, 1994' में निम्नवत संशोधन किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया है:

वर्तमान नियम 8.3 – छूट	संशोधित नियम 8.3 – छूट
"अत्यंत मेधावी अभ्यर्थियो (विभागीय एवं बाह्य दोनो) के मामले में आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और अथवा अनुभव मे महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्वानुमोदन से छूट की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित छूट जारी रहेगी। तथापि, आयु में छूट: 1. अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कुछ अन्य वर्गो के लिए शिथिलनीय होगी। 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किसी अन्य छूट के साथ जुड़कर शिथिलनीय होगी।"	"भारत सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार परिषद/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो/ अन्य पिछड़े वर्गो तथा कुछ अन्य वर्गों के लिए निर्धारित छूट जारी रहेगी। अत्यंत मेधावी अभ्यर्थियो (विभागीय एवं बाह्य दोनो) के मामले मे आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हता और अथवा अनुभव मे महानिदेशक, सीएसआईआर के पूर्वानुमोदन से छूट की अनुमति प्रदान की जाएगी।"

नियमावली मे उपर्युक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(आर.एस. अन्तिल)
वरिष्ठ उप सचिव (मा.स.-प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानो के निदेशक/प्रधान
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानो के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियत्रक
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा), सीएसआईआर की निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
6. निदेशक, केन्द्रीय कार्यालय
7. वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार, सीएसआईआर
8. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
9. उप सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
10. उप सचिव (नीति प्रभाग)
11. प्रधान, एचआरडीजी/यूआरडीआईपी/एचआरडीसी/आईपीयू/पीपीडी/इस्टैड/यूएसडी
12. सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
13. सचिव, जेसीएम (स्टाफ साइड), आईआईसीटी, हैदराबाद – 50007
14. प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग – इस अनुरोध के साथ की इस अधिसूचना को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।